सं0-2207/का-3-2004-13/90/98

सेवक,

बी0एन0दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन ।
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 ।

कार्मिक अनुभाग-3

लखनऊः दिनांकः 20 अक्टूबर, 2004

विषयः- अप्रेन्टिसशिप पूर्ण करने पर रियायतें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-66/का-3-2000-13/90/98, दिनांक 24.3.2000 तथा तद्क्रम में शासनादेश सं0-110एम0एस0/का-3-2000-13/90/98, दिनांक 04.12.2000 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अप्रेन्टिसशिप पूर्ण किये हुए अभ्यर्थियों के सेवायोजनार्थ कतिपय रियायतें दिये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी करते हुए अपेक्षा की गयी थी कि उक्त संबंध में शासनादेश सं0-बी-1070/का-1/1996 दिनांक 12.9.96 में वर्णित निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय किन्तु कतिपय विभागों द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजे गये अधियाचनों से परिलक्षित होता है कि विभागों द्वारा वांछित कार्यवाही में उदासीनता एवं शिथिलता बरती जा रही है। अप्रेन्टिसशिप पूर्ण करने वाले को रियायतें दिये जाने के सम्बन्ध में अनेक विभागों द्वारा अभी तक सेवा-नियमावलियों में अपेक्षित संशोधन भी नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया अप्रेंटिसशिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त संदर्भित शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एन0दीक्षित)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक-उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि सचिव, लोक सेवा आयोग को उनके पत्रांक-61/5/मिस/एस-10/2004-05, दिनांक 13.9.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(बी0एन0दीक्षित)